

सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाईटी,

धुर्वा, राँची।

पत्रांक-CSO/CO-Op/Hsg/2025...03...../

दिनांक-28.01.2025

नोटिस

सोसाईटी के सभी सम्मानित सदस्यों को सूचित करना है कि सांगा में हुए दिनांक 15.12.2024 को सम्पन्न वार्षिक आम सभा (GBM) के प्रस्ताव संख्या 5 में लिए गए निर्णय के आलोक में प्रत्येक सदस्य को 2.50 लाख रुपये तृतीय किस्त विकास मद में देना है। सदस्यों की सुविधा हेतु इसे दो चरणों में देने की व्यवस्था की गई है। कमशः प्रथम चरण 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रुपये) 31 मार्च, 2025 तक देना सुनिश्चित किया जाए तथा रु0 1.00 लाख (एक लाख रुपये) की दूसरी किस्त 30 जून, 2025 तक देना सुनिश्चित किया जाय।

तृतीय विकास मद की राशि सोसाईटी के निम्नलिखित बैंक बचत खाता में जमा किया जा सकता है:-

1. स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया, हटिया, राँची
2. देय CSO Co-Operative Housing Society Ltd.
3. बचत खाता संख्या 11026363260
4. IFSC Code SBIN00000207

भुगतान के पश्चात उसकी सूचना सोसाईटी को दी जाए, ताकि आपको सम्बन्धित Money Receipt निर्गत किया जा सके।

माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि उपरोक्त GBM में लिए गए निर्णय के अनुसार सोसाईटी के सड़क, जलापूर्ति, विद्युत, कार्यालय, प्रवेश द्वार (entrance gate) इत्यादि का कार्य होना प्रस्तावित है, जिसके लिए पर्याप्त मात्रा में संसाधन की आवश्यकता है। यह भी निर्णय लिया गया कि रु0 1.50 लाख (एक लाख पचास हजार रुपये) दिनांक 31 मार्च, 2025 एवं शेष रु0 1.00 लाख (एक लाख रुपये) की राशि 30 जून, 2025 तक देय है। निर्धारित अवधि तक विकास राशि की तीसरी किस्त का भुगतान नहीं करने पर दिनांक 24.02.2018 के आम सभा की कंडिका - 2 में लिए गए निर्णय के आलोक में विलम्बित शुल्क लिया जाएगा। जो सदस्य राशि नहीं देंगे, उनपर प्लॉट आवंटन पत्र की कंडिका 8 एवं 9 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।



सचिव एवं उपाध्यक्ष

सी0एस0ओ0 को-ऑपरेटिव हाउसिंग, सोसाईटी,
धुर्वा, राँची